

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल हल्द्वानी नैनीताल।


:-कार्यालय आदेश:-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 17-1(क)के प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या 198739/XXX (2)/E-33080 कार्मिक सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 14 मार्च, 2024 एवं शासनादेश संख्या-221278 /XXX (2) 2024/E-33080 कार्मिक सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 28 जून, 2024 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र 2024-25 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल हल्द्वानी (नैनीताल) के अन्तर्गत कार्यरत मिनिस्ट्रियल संवर्ग के कार्मिकों का स्थानान्तरण निम्नवत तालिका के स्तम्भ-3 में वर्णित उनके वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ -4 में वर्णित उनके नवीन तैनाती के स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

वरिष्ठ सहायक (सुगम से दुर्गम)

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थानान्तरित संस्था का नाम	स्थानान्तरण का प्रकार
1	2	3	4	5
1	श्री दीप चन्द्र जोशी	कार्यालय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी -उधमसिंहनगर	कार्यालय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी -पिथौरागढ़	जनहित

1- उपरोक्तानुसार सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 एवं उक्त शासनादेश दिनांक 28 जून 2024 के प्राविधानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।


ह०/ 
(डा०उदय शंकर)
अपर निदेशक।

पत्रांक 1226 /स्था०-02/वा०स्था०/2024-25

दिनांक 31-07-2024

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उधमसिंहनगर/पिथौरागढ़।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी - उधमसिंहनगर/पिथौरागढ़।
- 4- निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।


(डा०उदय शंकर)
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल हल्द्वानी नैनीताल।

:—कार्यालय आदेश:—

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 17-1(ग)के प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या 198739/XXX (2)/E-33080 कार्मिक सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 14 मार्च, 2024 एवं शासनादेश संख्या 221278 /XXX (2) 2024/E-33080 कार्मिक सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 28 जून, 2024 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र 2024-25 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल हल्द्वानी (नैनीताल) के अन्तर्गत कार्यरत मिनिस्ट्रियल संवर्ग के कार्मिकों का स्थानान्तरण निम्नवत तालिका के स्तम्भ-3 में वर्णित उनके वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ -4 में वर्णित उनके नवीन तैनाती के स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:—

वरिष्ठ सहायक (दुर्गम से सुगम)

क0 सं0	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थानान्तरित संस्था का नाम	स्थानान्तरण का प्रकार
1	2	3	4	5
1	श्रीमती पुष्पा तिवारी	कार्यालय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी -पिथौरागढ़	कार्यालय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी -उधमसिंहनगर	जनहित

1- उपरोक्तानुसार सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 एवं उक्त शासनादेश दिनांक 28 जून 2024 के प्राविधानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह0 / _____
(डा0उदय शंकर)
अपर निदेशक।

पत्रांक 1227 /स्था0-02/वा0स्था0/2024-25

दिनांक 31-07-2024

प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़/उधमसिंहनगर।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी - पिथौरागढ़/उधमसिंहनगर।
- 4- निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।


(डा0उदय शंकर)
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

—: कार्यालय आदेश :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(ख) में निहित प्राविधानों एवं निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून से प्राप्त अनुमोदन दिनांक 05-07-2024 के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित प्रधान सहायक, का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

(ख)-अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

क्र० सं०	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती छाया शर्मा प्रधान सहायक	कार्यालय-मुख्य पशु चिकित्साधिकारी बागेश्वर	कार्यालय-मुख्य पशु चिकित्साधिकारी नैनीताल	अनुरोध के आधार पर

- उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।
- अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण भत्ते हेतु अर्ह नहीं होंगे।

ह०/-
(डा० उदय शंकर)
अपर निदेशक।

पत्रांक 1229 /स्था०-02/वा०स्थाना०-प्रधान सहायक/2024-25,

दिनांक 31-07-2024

प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, बागेश्वर।
- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, नैनीताल।
- वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर।
- मुख्य कोषाधिकारी, नैनीताल।
- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० उदय शंकर)
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल हल्द्वानी नैनीताल।

:-कार्यालय आदेश:-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 17-1 (ख) के प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या 198739/XXX (2)/E-33080 कार्मिक सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 14 मार्च, 2024 एवं शासनादेश संख्या 221278 /XXX (2) 2024/E-33080 कार्मिक सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 28 जून, 2024 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र 2024-25 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल हल्द्वानी (नैनीताल) के अन्तर्गत कार्यरत मिनिस्ट्रियल संवर्ग के कार्मिकों का स्थानान्तरण उनके निजी अनुरोध पर निम्नवत तालिका के स्तम्भ-3 में वर्णित उनके वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ -4 में वर्णित उनके नवीन तैनाती के स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

प्रशासनिक अधिकारी (सुगम से दुर्गम)

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थानान्तरित संस्था का नाम	स्थानान्तरण का प्रकार
1	2	3	4	5
1	श्री नन्दन सिंह परिहार	कार्यालय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी- उधमसिंहनगर	कार्यालय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी -पिथौरागढ़	निजी अनुरोध

1- उपरोक्तानुसार सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 एवं उक्त शासनादेश दिनांक 28 जून 2024 के प्राविधानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

2- अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरित किये गये कार्मिक को स्थानान्तरण भत्ते अर्ह नहीं होंगे।

ह०/ _____
(डा०उदय शंकर)
अपर निदेशक।

पत्रांक 1228 /स्था०-02/वा०स्था०/2024-25

दिनांक 31-07-2024

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उधमसिंहनगर/पिथौरागढ़।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी - उधमसिंहनगर/पिथौरागढ़।
- 4- निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

(डा०उदय शंकर)
अपर निदेशक।